न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1781 – एक/ 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2013 – पारित – व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 166/2007–08 निगरानी

1– मोहम्मद शोएव पुत्र स्व. मोहम्मद अकवर
2– जैनब बी पत्नि स्व. मोहम्मद अकवर
3– सुश्री सलमा पुत्री मोहम्मद अकवर
निवासीगण अंदर किला विदिशा
4– निकहत पुत्री मोहम्मद अकवर
निवासी रतलाम मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुमताज फातमा पुत्री मो. अकील
2– मो.असद उल हक पुत्र मो. अकील
3– मो. जिया उल हक पुत्र मो. अकील
4– गजनफर पुत्र मो. अकबर
सभी निवासी शाहजहॉनावाद भोपाल ----अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री अशोक श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 4 – 2016 को पारित)

अपर कलेक्टर, जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 166/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मुंगवारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 160, 194, 201, 260, 291, 293, 294, 587,597,

610, 658 कुल किता 11 कुल रकबा 15.123 हैक्टर मो. अकवर, मो. असद उल हक, जिया उल हक, पुत्रगण मो. अकील एंव मो. सुल्तान, फातिमा वेवा मो. अकील , मुमताज फातिमा पुत्री मो. अकील के नाम समान भाग पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है। मो. अकवर की मृत्यु पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरण किये जाने हेतु पटवारी ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 7 पर प्रविष्टि अंकित की, जिसे ग्राम पंचायत मंगवारा विकास खंड ग्यारसपुर ने 13.10.1997 को प्रमाणित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 62/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-2007 से पंजी पर प्रमाणित किया गया नामान्तरण निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गुलावगंज को प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 166/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-4-2013 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 15.123 हैक्टर की 13.10.97 के पूर्व इन भूमिस्वामियों के नाम दर्ज रही है -

> **"मोहम्मद अकबर, मो0 असद उल हक, जिया उलहक पुत्रगण मोहम्मद अकील सुल्तान फातमा वेवा मोहम्मद अकील , मुमताज फातमा पुत्री मोहम्मद अकील निवासी ग्राम भाग समान भूमिस्वामी "**

पटवारी हलका नंबर 3 ग्राम मृगवारा की नामान्तरण के सरल कमांक 7 पर दिनांक 13-10-1997 को की गई प्रविष्टि इस प्रकार है -

कालम नंबर 4
नामान्तरण के पूरे ब्यौरे

**"मोहम्मद अकबर, मो0 असद उल हक, जिया उलहक पुत्रगण मोहम्मद अकील सुल्तान फातमा वेवा मोहम्मद अकील , मुमताज फातमा पुत्री मोहम्मद अकील निवासी ग्राम भाग समान भूमिस्वामी "**

नोट - मोह0 अकबर फोत हो चुके हैं उनके वारिसान की जानकारी वारिसानों एंव ग्रामवासियों से ली गई। हस्ता/--पटवारी

कालम नंबर 5
उन व्यक्तियों के नाम और पूरे पते जो
जो नामान्तरण में हित रखते हों

**"जैनबी वेवा मो0 अकवर , सलमा निकहत पुत्रीयॉ मो0अकबर मे. सोएवख मोख गजनकर पुत्रगण मो.अकबर, मो.असद उलहक, जिया उलहक, पुत्रगण मो. अकील, मु. संल्तान फातिमा वेा मो. अकील , मुमजात फतिमा पुत्रीयां अकील नि. ग्राम समभाग भूमिस्वामी ."**

मोह0 अकबर फोत होने पर उक्तानुसार खातेदारों का नामान्तरण आदेश 13-10-97 को किया गया है। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने वर्ष 2004-05 में अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत की है। नामान्तरण आदेश दिनांक 13-10-1997 के विरूद्व वर्ष 2004 में अर्थात 7 वर्ष के अंतर से अपील प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार की जा सकती है ? प्रकरण में आये तथ्यों से पाया गया कि अनावेदकगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त तहसीलदार गुलाबगंज के यहां नामान्तरण हेतु प्रकरण कमांक 2 अ-6/1999-2000 दायर किया था, जो आदेश

दिनांक 14-6-2000 से खारिज हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील भी प्रस्तुत हुई, जिसके विरूद्ध कलेक्टर विदिशा के यहां निगरानी कमांक 2/2004-05 प्रस्तुत की गई , जो आदेश दिनांक 3-2-2005 से निराकृत हुई एंव नामान्तरण कार्यवाही को उचित होना ठहराया गया। कलेक्टर विदिशा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8-2-2005 में पृष्ठ 3 पर ग्राम की नामान्तरण पंजी कमांक 7 पर हुये आदेश दिनांक 13-10-1997 का उल्लेख है अर्थात प्रमाणित है कि अनावेदकगण को नामान्तरण पंजी कमांक 7 पर हुये आदेश दिनांक 13-10-1997 की जानकारी पूर्व से रही है एंव इस आदेश के विरूद्ध असद उल हक ने अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के न्यायालय में निगरानी कमांक 71/2004-05 दायर की थी और यह निगरानी तभी दायर हुई है जबकि उसके व्दारा कलेक्टर विदिशा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8-2-2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली हो। स्पष्ट है कि अनावेदकगण को नामान्तरण पंजी कमांक 7 पर हुये आदेश दिनांक 13-10-1997 की जानकारी पूर्व से रही है, फिर भी उक्तांकित तथ्यों को छिपाते हुये नामान्तरण पंजी कमांक 7 पर हुये आदेश दिनांक 13-10-1997 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 7 वर्ष के अंतर से अपील प्रस्तुत कर दी गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने उक्तानुसार वास्तविक तथ्यों को नजन्दाज करके प्रकरण कमांक 62/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-2007 से अपील के विलम्ब को क्षमा करने एंव अपील स्वीकार करते हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 13-10-1997 को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि करते हुये पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है ।

**धीरेन्द्र चन्द्र बनाम स्टेट आफ मेघालय ए0आई0आर0 2013 एन0ओ0सी0 327 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है (अपील प्रस्तुत**

**करने में विलम्ब हुआ था। विलम्ब क्षमा करने के वावत् दर्शित कारण पर्याप्त प्रकृति का होना नहीं पाया गया। परिणामतः विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया).**

**ए0आई0आर0 1997 सु0को0 1353 एंव 1988 जे0एल0जे0 167 के न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है (परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया था। विलम्ब क्षमा किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर अमान्य कर दी गई कि आवेदक का कृत्य सदभावना के अधीन नहीं था अपितु उसकी विलम्बकारी पद्धति थी).**

विचाराधीन प्रकरण में नामान्तरण आदेश दिनांक 13-10-1997 की जानकारी अनावेदकगण को उपरोक्त वर्णित अनुसार पूर्व चले प्रकरणों के माध्यम से थी एंव उनके व्दारा उक्त तथ्य को छिपाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 7 वर्ष के अंतर से अपील की गई थी, परन्तु अपर कलेक्टर न्यायालय में इस तथ्य के उजागर हो जाने के वाद भी उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य न होना मानते हुये आदेश दिनांक 29-4-2013 से निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 13-10-1997 के विरुद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 7 वर्ष के अंतर से एंव अपील के पूर्व में प्रचलित उक्तानुसार प्रकरणों के तथ्यों को छिपाकर किया जाना परिलक्षित है। **रामलाल बनाम रीवा कोल फील्डस लिमिटेड 1962 म0प्र0लॉ0ज0 45 (म0प्र0) सु0को0 ए0आई0आर0 1962 सु0को0 361 एंव गीतारानी बनाम भगवती वाई 2006 (2) म0प्र0 लॉ0ज0 45 के न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार हैं (अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में**

**आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता)** परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज करने के कारण उंनके व्दारा पारित स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 166/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-4-2013 एंव अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने प्रकरण कमांक 62/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 7 पर की गई प्रविष्टि पर ग्राम पंचायत मंगवारा विकास खंड ग्यारसपुर व्दारा दिया गया आदेश दिनांक 13.10.1997 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर